अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

कमांक एफ 27 (36) ग्रावि/अनु–5/जीकेएन/ 2015–16 जयपुर, दिनांक 9 नवम्बर, 2015

जिला कलेक्ट्रर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद समस्त राजस्थान।

विषयः– पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एंव प्रस्तावक समिति में एक एक सरपंच व ग्राम सेवक के मनोनयन कराने के सम्बंध में।

प्रसंगः– विभागीय स्थाई आदेश संख्या– 20/2015 एव परिपत्र एफ– 27() ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/ 2015–16 दिनांक 9.10.2015

ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2015 के बिन्दु संख्या–द 9.5 में वर्णित पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति के अधिकारिता के भीतर विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के लिए श्रम, सामग्री व उपकरण आदि की दर अनुसूची प्रस्तावित करनी है। विभागीय प्रासंगिक स्थाई आदेश संख्या– 20/2015 के द्वारा इस समिति में एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक (कुल 2 सदस्य) विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक में लॉटरी के आधार पर चयन कर शामिल किये जाने है। प्रत्येक वर्ष रोटेशन के आधार पर लॉटरी निकाली जाकर उक्त समिति में सदस्यों का मनोनयन किया जाना है। विभागीय परिपत्र दिनांक 9.10.2015 द्वारा समस्त योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु नवीन दर मूल अनुसूची, सामग्री दरों का निर्धारण व निविदा निर्धारण हेतु समय सारणी जारी की गई है।

अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति वर्ष 2015–16 हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक का मनोनयन करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 30.11.2015 तक पूर्ण कराकर विभागीय परिपत्र में वर्णित समय सारणी अनुसार वर्ष 2016–17 की दर अनुसूची तैयार कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Enclosed - as above

9.11.15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव , पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभागा।
6. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान
8. अधिशाषी अभियंता (अभि.) एंव सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. सहायक प्रोग्रामर ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

K.K.Sharma
SE

D:\Suresh SE RD PC\SURESH PA 2014-15.docx

412

अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ–27( ) ग्रावि / ग्रुप–5 / जीकेएन / 2015–16 जयपुर दिनाक 09 अक्टूबर, 2015

–: परिपत्र :–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के क्रय नियम – 183 से 192 तक उल्लेखित सामग्री और सेवाओं का उपापन एवं निविदा सम्बन्धित प्रक्रिया का समयबद्ध क्रियान्वयन वर्ष 2016–17 हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2015(विभागीय परिपत्र संख्या– 17 / 2015) (बिन्दु संख्या 9.7) के अधीन सम्पादित होने वाले समस्त योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सहित) नवीन दर मूल अनुसूची, सामग्री दरो का निर्धारण एवं निविदा निर्धारण निम्न समय सारणी अनुसार किया जावेगा :–

(अ) पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची एवं सामग्री दरों का निर्धारण

क्र. सं.	गतिविधि	निर्धारिम समय सीमा	उत्तरदायित्व
1	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची तैयार करना (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावें)	15 दिसम्बर, 2015	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, प.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (कमशः [illegible] विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, प.स.)
2	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का अनुमोदन (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावे) ।	31 दिसम्बर 2015	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (कमशः [illegible] विकास अधिकारी व सहायक अभियंता कार्यालय, प.स.)
3.	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा दरों का अनुमोदन (निर्धारित प्रकिया का पालना अनिवार्य रूप से किया जावे)	15 जनवरी, 2016	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय दर मूल निर्णायक समिति (कमशः जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक अभियंता (अभियान्त्रिकी)
4.	वर्ष 2016–17 हेतु दर मूल अनुसूची लागू करना।	01 अप्रेल, 2016	जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी।

(ब)ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा निर्धारण

क्र. सं.	गतिविधि	निर्धारिम समय सीमा	उत्तरदायित्व
1	निविदा प्रकाशन	01 फरवरी, 2016	पंचायत समिति (विकास अधिकारी)
2.	सामग्री का आकलन कर ग्राम पंचायतवार जी शिड्यूल तैयार करना	31 जनवरी, 2016	पंचायत समिति के सहा. अभि / कनि. अभि / कनि.तक.सहा
3.	निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि	15 मार्च, 2016	सरपंच एवं ग्राम सेवक
4.	निविदा का अन्तिम रूप दिया जाना। ग्राम पंचायत स्तर से अनुमोदित नही होने वाली निविदा को पंचायत समिति को प्रेषण कर फाईनल कराने की अन्तिम तिथि	20 मार्च, 2016	सरपंच एवं ग्राम सेवक
5	निविदा का अन्तिम रूप दिया जाना। पंचायत समिति स्तर से अनुमोदित नही होने वाली निविदा को जिला	25 मार्च, 2016	विकास अधिकारी, पंचायत समिति

	परिषद को प्रेषण कर फाईनल कराने की अन्तिम तिथि		
6.	जिला दर निर्णायक समिति द्वारा निविदाओं को अन्तिम रूप देना	31 मार्च, 2016	जिला दर निर्णायक समिति
7.	वर्ष 2016–17 हेतु निविदा दर को लागू करना	01 अप्रैल, 2016	सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति

विशेष :– उक्तानुसार कार्य सम्पादन की अनिवार्यता है, अन्यथा स्थिति में सम्बंधित को उदासीनता हेतु उत्तरदायी माना जावेगा, क्योंकि गत वर्षों में समयबद्ध दरो के निर्धारण एवं अनुमोदन के अभाव में राज्य की समग्र प्रगति पर विपरीत प्रभाव रहा है।

8/10/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू– सरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
10. जिला कलेक्ट्रर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
11. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
12. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (एन&ई), ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रपत्र की प्रतिया अपने स्तर भी समस्त सम्बंधितो को प्रेषित कराने का श्रम करावे।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
15. परियोजना प्रबंधक (भू सरक्षण) समस्त जिला राजस्थान।
16. अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
17. अधिशाषी अभियंता (नरेगा) जिला परिषद समस्ता राजस्थान।
18. परियोजना अधिकारी (लेखा)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
19. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
20. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत समस्त राजस्थान।
21. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)

414

अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ–4(10)परावि / पीपी / जीकेएन / 2014–15 जयपुर दिनांक 16 सितम्बर, 2015

स्थायी आदेश संख्या– 20 / 2015

विभागीय परिपत्र संख्या– 17 / 2015 के द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 भाग–1 जारी की गई थी। इस निर्देशिका के निम्न निर्देशों में संशोधन किये जाते है :–

1. निर्देश संख्या– 7.1 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स हेतु परिशिष्ठ–2 (ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 भाग–1) की तालिका संख्या– 3 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स के तकनीकी स्वीकृति (संशोधन सहित) में कॉलम संख्या– 6 में निम्न शर्त / टिप्पणी और जोडी जावेगी :–

   "प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्षतिग्रस्त कार्यो के तत्काल सम्पादन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक लाख तक की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2015 के भाग– 1 के निर्देश संख्या– 4.3 व 4.4 के अनुसार जारी की जा सकेगी।"

2. निर्देश संख्या – 9.5.1 – पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति में उप–निर्देश संख्या – 1 के अनुसार इस समिति में एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक (कुल 2 सदस्य) और शामिल किये जाते है। प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर इन सदस्यों का चयन विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापना समिति की बैठक में लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

3. ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 15 भाग–1 के निर्देश संख्या– 18.1 – "राज्य स्तरीय तकनीकी अनुमोदन समिति में कम संख्या– 5 पर अंकित जिलों के आमंत्रित अधिशाषी अभियंता 3 के स्थान पर प्रत्येक संभाग से एक अधिशाषी अभियंता को प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर सदस्य नियुक्त किया जाता है।"

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

16/09/2015

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

D:\Suresh\SURESH PA 2014-15.docx

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

(के. के. शर्मा) 10/7/15
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

D:\Suresh\SURESH PA 2014-15.docx